

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2015/खण्ड-II

दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में


सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया-तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के आदेश सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2015/खण्ड-XIX के अधिक्रमण में, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों इत्यादि की तैनाती के लिए और नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के बारे में संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए, मुझे इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। (इटेलिक्स में परिवर्तन)।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे अनुपालन हेतु सभी निर्वाचन अधिकारियों आयकर विभाग, पुलिस विभाग तथा उत्पाद शुल्क विभाग के ध्यान में लाएं।
3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भबदीय,

(एस.के. रूडौला)
सचिव

611

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2015/खण्ड-II

दिनांक : 29 मई, 2015

आदेश

यतः, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है; और

यतः, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकी देने, प्रभावित करने और घूस देने के सभी रूपों को अवश्य रोका जाना चाहिए और; ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, मदिरा या मुफ्त भोजन का वितरण; अथवा धमकी या डराने-धमकाने के द्वारा निर्वाचकों को भयभीत करने के लिए धन शक्ति और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

यतः, निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171ख और 172ग के अंतर्गत अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण है;

इसलिए, अब, निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्चों, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, मदिरा, या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए गठित उड़न दस्तों के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करता है:

उड़न दस्ता (एफ एस)

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/खण्ड में तीन या अधिक उड़न दस्ते (एफ एस) होंगे। उड़न दस्ता निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेगा और मतदान समाप्त होने तक कार्य करता रहेगा।
2. उड़न दस्ता (क) आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा; (ख) डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; और (ग) अभ्यर्थियों/राजनीतिक दल द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; (घ) आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए

जाने के उपरांत, राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य बड़े खर्चों की, वीडियो निगरानी दल (बीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी की जाएगी।

3. व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों (ईएससी), में जरूरत के आधार पर एक से अधिक उड़न दस्ते होंगे। इस अवधि के दौरान उड़न दस्ते को और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। उड़न दस्ते के अध्यक्ष के तौर पर मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ते के अन्य कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर, आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल या राज्य सशस्त्र पुलिस को परिस्थिति के आधार पर उड़न दस्ते में शामिल किया जा सकता है और जि.नि.अ. इस संबंध में जरूरी कदम उठाएंगे। जि.नि.अ., उड़न दस्ते में साबित सत्यनिष्ठा के अधिकारियों को शामिल करेंगे।
4. जब कभी भी नकदी या शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण के संबंध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला-बारूद के लाने और ले जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है जो उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेगा। किसी भी अपराध होने की आशंका में, उड़न दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या धूस की मदों या ऐसी अन्य मदों को जब्त करेगा और जिन व्यक्तियों से मदें जब्त की गई हैं, उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेगा और साक्ष्य जुटाएगा और जिस व्यक्ति से ऐसी मदें जब्त की हैं उसको जब्ती का समुचित पंचनामा, सी आर पी सी से प्रावधानों के अनुसार, जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए। उड़न दस्ते का मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
5. उड़न दस्ता के मजिस्ट्रेट रिश्वत या नकदी की जब्ती की वस्तुओं के संदर्भ में अनुलग्नक-क पर दिए गए फार्मेट के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी प्रति आर.ओ., एस.पी. और व्यय प्रेक्षकों को भेजेंगे तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संदर्भ में अनुलग्नक-ख में दिए गए फार्मेट में आरओ, डीईओ, एस.पी. और सामान्य प्रेक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेंगे। पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालयों के नोडल अधिकारी को दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट भेजेंगे जो जिले की ऐसी सभी रिपोर्टों का संकलन करेंगे और उसी

फॉर्मेट (यानि अनुलग्नक-क एवं ख) में फ़ैक्स/ई-मेल के द्वारा अगले दिन आयोग को एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

6. सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी द्वारा (i) रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों; (ii) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे विनिषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं या (iii) ऐसे अन्य असामाजिक तत्व, जो गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं; के विरुद्ध शिकायतें/एफआईआर तत्काल दाखिल भी करेंगे। शिकायत/एफआईआर की प्रति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आर.ओ. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से संबंध है तो व्यय प्रेक्षक उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेंगे।
7. यदि नकदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण के बारे में; या निर्वाचकों को धमकी देने/डराने के बारे में; या हथियारों/गोला-बारूद/असामाजिक तत्वों की आवाजाही के बारे में शिकायत प्राप्त हो और उड़न दस्ते का घटना-स्थल पर तत्काल पहुंच पाना संभव नहीं हो तो सूचना घटना-स्थल के सबसे नजदीक मौजूद राज्य निगरानी दल या उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को दी जाए जो शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घटना-स्थल पर तत्काल एक टीम भेजेंगे। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा या तो उड़न दस्ते द्वारा अग्रेषित शिकायतों के प्राप्त होने पर की गई या स्वतंत्र रूप से की गई सभी जख्तियों की उड़न दस्ते को भी रिपोर्टिंग की जाएगी जो ऐसी रिपोर्टों की प्रविष्टियां अपनी दैनिक कार्यकलाप रिपोर्टों के संगत कतारों/स्तंभों में करेंगे और ऐसा जब्ती की सूचना या की गई कार्रवाई की रिपोर्टों के दोहराए जाने से बचने के लिए किया जाता है।
8. प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित उद्घोषणा करेगा: "भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष

